कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ कैम्प गोगामेड़ी

क्रमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2022/2240 दिनांकः– 11-09-2022

गोगामेडी मेला क्षेत्र में 11 माह की अस्थाई दुकाने लगाने हेतु रिक्त भूमि की ऑन–लाईन (ई–बोली) सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजकीय आत्म निर्भर मन्दिर श्री गोगाजी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ में गोगामेडी मेला क्षेत्र में 11 माह के लिए दिनांक 15.09.2022 से मेला वर्ष 2023 के प्रारम्भ से एक सप्ताह पूर्व तक ऑन लाईन बोली दिनांक 09.09.2022 में शेष रही अस्थाई दुकाने/भूखण्ड हेतु रिक्त भूमि को किराये पर देने हेतु ऑन–लाईन ई–बोली www.zilahanumangarh.in पर लॉग–इन कर पंजीयन शुल्क 200/– ऑन–लाईन खाते में जमा करवाने के पश्चात् पंजीयन आवेदन पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की फोटो प्रति एवं निर्धारित अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित **कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जिला परिषद के पीछे हनुमानगढ़** में जमा करवाकर ई–बोली लगा सकता है।

ऑन–लाईन बोली से सबंधित अन्य विस्तृत विवरण, शर्तें, प्रक्रिया आदि किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाईट **www.devsthan.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in, www.zilahanumangarh.in** पर देखी जा सकती है।

क्र. स.	विवरण		दिनांक
1.	पंजीयन प्रारम्भ की दिनांक		12.09.2022
2.	पंजीयन करने की अन्तिम दिनांक		14.09.2022
3.	पंजीयन आवेदन पत्र एवं अमानत राशि जमा करवाने की अन्तिम दिनांक		15.09.2022 सांय 06.00 बजे तक
4.	ऑन–लाईन बोली प्रारम्भ की दिनांक		16.09.2022
5.	ऑन–लाईन बोली लगाने की अन्तिम दिनांक	कुल 140 अस्थाई दुकाने/भुखण्ड (अस्थाई दुकानों/भुखण्डों की सूची कार्यालय समय में कार्यालय देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ एवं जिला हनुमानगढ़ पोर्टल पर देखी जा सकती है)	19.09.2022 दोपहर 04.00 बजे तक

इस कार्यालय द्वारा जारी ऑन लाईन निलामी सूचना लेखा/देव/गोगामेड़ी/2022/2119 दिनांक 30.08.2022 में अंकित शर्तें अक्षरशः यथावत रहेंगी, तथा दुकानों का आरक्षित मूल्य एवं अमानत राशि भी यथावत रहेगी। निलामी की समस्त प्रक्रिया **कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, हनुमानगढ़** में सम्पादित होगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
हनुमानगढ
कैम्प गोगामेड़ी

क्रमांकः–लेखा/देव/गोगामेडी/2022/2241-61 दिनांकः– 11-09-2022

प्रतिलिपि– अग्रलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त ऑन–लाईन निलामी सूचना विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावें, व साथ ही श्रीमान् के पत्र क्रमांक एफ15(02)/लेखा/निधि/2022/2008 दिनांक 29.08.2022 के क्रम में निवेदन है कि मेले की अवधि की सिमितता व अति आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम समयावधि को उपरोक्तानुसार शिथिलता देकर अनुमोदन कराने का श्रम करावें।
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त ई–बोली हेतु अपका प्रतिनिधि नियुक्त करनें एवं उपनिदेशक सूचना एवं प्रोद्योगीकी विभाग, हनुमानगढ़ को उक्त अस्थाई भुखण्डों की ऑनलाईन ई–बोली की सम्पूर्ण प्रक्रिया संचालन बाबत आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करावें।

3. श्रीमान वरिष्ठ लेखाधिकारी, देवस्थान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
4. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नोहर ।
5. श्रीमान् उपनिदेशक सूचना एवं प्रोद्योगीकी विभाग, हनुमानगढ़ को उक्त ऑन लाईन बोली की विज्ञप्ति, बाजार वाईज अस्थाई भुखण्डों/दुकानों अमानत राशि एवं आरक्षित मूल्य का विवरण वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।
6. श्रीमान् सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़ को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।
7. श्रीमान् सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय/ उदयपुर/ऋषभदेव /अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/वृंदावन को सूचनार्थ।
8. तहसीलदार (राजस्व) नोहर/भादरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
9. सरपंच, ग्राम पंचायत गोगामेडी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
10. निरीक्षक, देवस्थान विभाग गोगामेडी।
11. मेनेजर मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर चस्पादगी रिपोर्ट प्रेषित करें।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग,
हनुमानगढ
कैम्प गोगामेड़ी